



पर्यवेक्षण विभाग DEPARTMENT OF SUPERVISION
तिरुवनंतपुरम THIRUVANANTHAPURAM

समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन हेतु निविदा 28 मई 2026 (गुरुवार)

निविदा नं.: आरबीआई/तिरुवनंतपुरम/रीजनल ऑफिस/आतेर्स/1/26-27/ईटी/76 [पेटीएम पेमेंट्स बैंक लाइसेंस रद्द]

क्रम.सं.	गतिविधि	तिथि
1	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल में निविदा उपलब्ध होने की तिथि	11 मई, 2026 सोमवार को अपराह्न 03:00 बजे से
2	बोली लगाना आरंभ होने की तिथि	12 मई, 2026 मंगलवार को अपराह्न 10:00 बजे तक
3	निविदा जमा करने की नियत तिथि	20 मई, 2026 बुधवार को पूर्वाह्न 10:00 बजे तक
4	निविदा खोलने की तिथि	20 मई, 2026 बुधवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे

अस्वीकरण

पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई, तिरुवनंतपुरम ने इच्छुक पक्षों को परियोजना की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी की तैयारी में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानते हैं, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसियों और न ही इसके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों में से किसी ने भी इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जा सकने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई वारंटी या कोई प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्त या निहित, प्रदान की है।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी पूछताछ स्वयं करने होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या परामर्शदाता के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक परियोजना को आगे न बढ़ाने या परियोजना के स्वरूप को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पार्टी के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

टिप्पणी :

सभी निविदाकारों को कोट प्रस्तुत करने से पहले, प्रत्येक मद के तहत कार्य के विवरण के लिए इस दस्तावेज़ के भाग II में दी गई मदों को संदर्भित करना आवश्यक है।

प्रत्येक मद के लिए दर, सभी लागू करों सहित कोट की जानी है।



पर्यवेक्षण विभाग DEPARTMENT OF SUPERVISION
तिरुवनंतपुरम THIRUVANANTHAPURAM

ई - निविदा आमंत्रण सूचना

समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन हेतु निविदा 28 मई 2026 (गुरुवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम "भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के बिना कुछ सहकारी समितियों द्वारा 'बैंक' शब्द का प्रयोग" के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है। उक्त विज्ञापन गुरुवार, - 28 मई 2026 को (दो मलयालम दैनिक) केरल के सभी संस्करणों में प्रकाशित किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से संलग्न शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार की जाएगी। ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी पात्र और इच्छुक कंपनियों / एजेंसियों / फर्मों को उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा। ई-निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:

ई-निविदा संख्या	आरबीआई/तिरुवनंतपुरम/रीजनल ऑफिस /आतेर्स/ 1/26-27/ईटी/76 [पेटीएम पेमेंट्स बैंक लाइसेंस रद्द]
a) निविदा की अनुमानित लागत	₹12,00,000/- (केवल बारह लाख रुपये) (जीएसटी और सभी लागू शुल्क सहित)
b) ई-निविदा का माध्यम	www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से ई-निविदा ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम मूल्य बोली का तरीका
c) ई-निविदा का प्रकार	सीमित
d) पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए एनआईटी उपलब्ध होने की तिथि	11 मई, 2026 सोमवार को अपराह्न 03:00 बजे से
e) www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	12 मई, 2026 मंगलवार को अपराह्न 10:00 बजे तक

f) मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	20 मई, 2026 बुधवार को पूर्वाह्न 10:00 बजे तक
g) मूल्य बोली खोलने की तिथि और समय	20 मई, 2026 बुधवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे
h) ई-निविदा की वैधता	मूल्य बोली खोलने की तारीख से 90 दिन
i) लेनदेन शुल्क (अप्रतिदेय)	एमएसटीसी पोर्टल में एमएसटीसी भुगतान गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सूचित किए गए अनुसार लेनदेन शुल्क का भुगतान।

2. बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए, सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

3. विक्रेता द्वारा किसी शर्त के साथ कोट किए गए, कोई भी कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह के कोटेशन को बैंक के विवेक पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4. भविष्य में जारी निविदा में संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट जैसा कि ऊपर दिया गया है, पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
तिरुवनंतपुरम और लक्षद्वीप

शर्तें एवं निबंधन:

1. यह समाचार पत्रों में विज्ञापन (अनुलग्नक 1 से 2 में संलग्न मसौदा नमूना) के प्रकाशन के लिए एक निमंत्रण है। उक्त विज्ञापन गुरुवार, 28 मई, 2026 को केरल के सभी संस्करणों में दो मलयालम दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना है। विज्ञापन में प्रकाशित की जाने वाली सामग्री अनुबंध 1 से 2 में संलग्न है।
2. इस ई-निविदा प्रक्रिया में केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल में शामिल विक्रेताओं को ही भाग लेने की अनुमति है।
3. जिन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है उनकी सूची नीचे दी गई है:

भाषा	समाचार पत्र
मलयालम और हिंदी	मातृभूमि, मलयाला मनोरमा

4. विज्ञापन को मातृभूमि में मलयालम और हिंदी भाषा के लिए 16.2 (चौड़ाई) *25(ऊंचाई) सेमी (लगभग) आकार में, मलयाला मनोरमा में मलयालम और हिंदी भाषा के लिए 16.3(चौड़ाई)*25(ऊंचाई) सेमी (लगभग)।
5. यह नोट किया जाए कि सबसे कम कोटेशन का चयन किया जाएगा और L1 को प्रदान किया जाएगा।
6. विज्ञापन एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि विज्ञापन का स्थान **आकर्षक होना चाहिए और समाचार पत्र के मुख्य भाग में तीसरे पृष्ठ या पांचवें पृष्ठ पर दिखाई देना चाहिए** न कि पूरक में। फ्रॉन्ट का आकार ऐसा होना चाहिए कि वह आसानी से पढ़ा जा सके।
7. बोलीदाता अपना पूरा नाम, ई-मेल, संपर्क नंबर और फर्म/एजेंसी का पता प्रदान करेंगे।
8. विक्रेताओं को भारतीय रुपये में सभी लागू करों सहित प्रति वर्ग सेमी दरों के लिए कोट प्रस्तुत करना आवश्यक है। **इस संबंध में बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
9. बैंक किसी भी निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
10. विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति के साथ बिल जमा करने और रद्द चेक के साथ एनईएफटी मैडेन फॉर्म को पूरी तरह से भरने पर भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, भुगतान लागू शुल्क की कटौती के बाद किया जाएगा।
11. शर्तों एवं निबंधनों और विज्ञापन की सामग्री में कोई भी परिवर्तन भारतीय रिज़र्व बैंक के विशेषाधिकार होंगे और सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होंगे।

मूल्य बोली

प्रत्येक मद के लिए दर सभी लागू करों सहित कोट की जानी है।

संख्या	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	विज्ञापन की तिथि	प्रति वर्ग सेमी दर (सभी करों सहित - रुपये में)
1	मातृभूमि में मलयालम भाषा में विज्ञापन, जैसा कि अनुबंध 2 में दिया गया है - सभी केरल संस्करणों में आकार 16.2 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई) (दर प्रति वर्ग सेमी में उद्धृत की जानी है)	प्रति वर्ग सेमी	16.2 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई)	28 मई 2026 (गुरुवार) (सभी केरल संस्करण)	
2	मातृभूमि में हिंदी भाषा में विज्ञापन, जैसा कि अनुबंध 1 में दिया गया है - सभी केरल संस्करणों में आकार 16.2 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई) (दर प्रति वर्ग सेमी में उद्धृत की जानी है।)	प्रति वर्ग सेमी	16.2 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई)	28 मई 2026 (गुरुवार) (सभी केरल संस्करण)	
3	मलयालम मनोरमा में मलयालम भाषा में विज्ञापन, जैसा कि अनुबंध 2 में दिया गया है - सभी केरल संस्करणों में आकार 16.3 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई) (दर प्रति वर्ग सेमी में उद्धृत की जानी है)	प्रति वर्ग सेमी	16.3 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई)	28 मई 2026 (गुरुवार) (सभी केरल संस्करण)	
4	मलयालम मनोरमा में हिंदी भाषा में विज्ञापन, जैसा कि अनुबंध 1 में दिया गया है - सभी केरल संस्करणों में आकार 16.3 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई) (दर प्रति वर्ग सेमी में उद्धृत की जानी है)	प्रति वर्ग सेमी	16.3 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई)	28 मई 2026 (गुरुवार) (सभी केरल संस्करण)	



भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 22(4) के अंतर्गत दिनांक 24 अप्रैल 2026 के आदेश द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है, यह आदेश 24 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी होगा। परिणामस्वरूप, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(बी) में परिभाषित 'बैंकिंग' का कारोबार करने, या धारा 6 के तहत निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त कारोबार को करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। आरबीआई, इस बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करेगा।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास बैंक के बंद होने की स्थिति में जमाराशि संबंधी अपनी संपूर्ण देनदारी चुकाने के लिए पर्याप्त चलनिधि मौजूद है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया:

- i. बैंक के कामकाज इस तरह से किए जा रहे थे, जो बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक थे। अतः, बैंक, बीआर अधिनियम की धारा 22 (3) (बी) का पालन नहीं कर रहा है।
- ii. बैंक के प्रबंधन का सामान्य स्वरूप जमाकर्ताओं के हितों के साथ-साथ जनहित के लिए भी हानिकारक है। अतः, बैंक, बीआर अधिनियम की धारा 22 (3) (सी) के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है।
- iii. बीआर अधिनियम की धारा 22 (3) (ई) के अनुसार, बैंक को काम जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य या जनहित पूरा नहीं होगा।
- iv. बैंक ने उसे जारी किए गए पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उसने बीआर अधिनियम की धारा 22 (3)(जी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

इससे पहले, बैंक को 11 मार्च 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने का काम रोकने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को बैंक पर कुछ कारोबारी पाबंदियां भी लगाई गईं, जिनके तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा ग्राहकों के खातों, प्रीपेड लिखतों, वॉलेट आदि में आगे कोई भी जमा/क्रेडिट/टॉप-अप करनेकी अनुमति नहीं दी गई।

<https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PressReleases.aspx?ID=54408>



റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനായില്ല

1949-ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് (ബി ആർ ആക്ട്) സെക്ഷൻ 22(4) പ്രകാരം പേയ് ടി എം പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ്, 2026 ഏപ്രിൽ 24-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. 2026 ഏപ്രിൽ 24-ന് ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ് സമയം അവസാനിക്കുന്നത് മുതൽ ഈ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതിന്റെ ഫലമായി, ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 5(ബി) പ്രകാരമുള്ള 'ബാങ്കിംഗ്' ഇടപാടുകളോ, സെക്ഷൻ 6-ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് അധിക ബിസിനസുകളോ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പേയ് ടി എം പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനെ ഉടനടി വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകരുടെ മുഴുവൻ ബാധ്യതകളും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ പണലഭ്യത പേയ് ടി എം പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനുണ്ട്.

താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയത്:

- i. ബാങ്കിന്റെയും നിക്ഷേപകരുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായ രീതിയിലാണ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവന്നത്. അതിനാൽ, ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 22 (3) (ബി) പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകൾ ബാങ്ക് പാലിക്കുന്നില്ല.
- ii. ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പൊതുവായ സ്വഭാവം നിക്ഷേപകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിനും വിരുദ്ധമാണ്. അതിനാൽ, ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 22 (3) (സി) പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ബാങ്ക് പാലിക്കുന്നില്ല.
- iii. ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 22 (3) (ഇ) പ്രകാരം, ബാങ്കിനെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് വഴി പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോ പൊതുതാൽപ്പര്യമോ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

- iv. പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചപ്പോൾ നൽകിയ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്ക് പരാജയപ്പെട്ടു, ഇത് ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 22 (3) (ജി)-യുടെ ലംഘനമാണ്.

നേരത്തെ, 2022 മാർച്ച് 11 മുതൽ പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ ചേർക്കുന്നത് നിർത്താൻ ബാങ്കിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന്, 2024 ജനുവരി 31-നും ഫെബ്രുവരി 16-നും ബാങ്കിന് മേൽ ചില ബിസിനസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് പ്രകാരം നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ടുകൾ, പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ, വാലറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ടോപ്പ്-അപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനോ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു.

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण नोटिस को ध्यान से पढ़ें ।

1. ई-निविदा की प्रक्रिया:

पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास क्लास III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी।

बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ई-निविदा में सभी प्रविष्टियाँ बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन वाणिज्यिक प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए।

विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी / आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

1. विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई लोगो चुनें → विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें → विवरण भरें और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं → सबमिट करें।

2. विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ई-मेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर, कृपया आरबीआई/एमएसटीसी से (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई)

1. श्रीमती. लक्ष्मी एम एल (सहायक महाप्रबंधक), पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम Ph. No.- 0471-2783131/ Email: (lakshmiml@rbi.org.in)
2. श्री संतोष कुमार एस (सहायक प्रबंधक), पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम Ph. No.- 0471-2783238/8838326056 / Email: (ssanthoshkumar@rbi.org.in)

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

1. एमएसटीसी, कार्यालय पता: प्रथम तल, वन केंद्रीय पुस्तकालय भवन, केरल वन मुख्यालय, वषुत्तकॉड, तिरुवनंतपुरम - 695014, mstctvm@mstcindia.co.in, फ़ोन: 0471-2529137
2. श्री संतोष कुमार- skrajendran@mstcindia.co.in मोबाइल: 8884600700
3. श्री सुशील नाले, सहायक प्रबंधक - sushil@mstcindia.co.in मोबाइल- 09987758460
4. सुश्री अर्चना, सहायक प्रबंधक- archana@mstcindia.co.in मोबाइल- 09990673698
5. सुश्री रूपाली पांडे, कार्यकारी- rpandey@mstcindia.co.in फ़ोन- 022 22886268
6. श्री तेजस वी, कार्यकारी tejasv@mstcindia.co.in फ़ोन- 022 22822789 गूगल हैंगआउट आईडी- (टेक्स्ट चैट के लिए)- mstceproc@gmail.com

ई-मेल हेल्प डेस्क- helpdesk@mstcindia.co.in

B) सिस्टम आवश्यकताएँ:

- i) विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम
- ii) IE-7 और उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र।
- iii) हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल हस्ताक्षर
- iv) नवीनतम अपडेट किया गया JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर, जिसे सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है।

DSC को हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रदर्शित करने के लिए "संरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए, निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सुरक्षा => यदि सक्षम है, तो सुरक्षित मोड अक्षम करें - अर्थात, "सुरक्षित मोड सक्षम करें" वाले टिक बॉक्स से टिक हटा दें।

	<p>अन्य सेटिंग्स:</p> <p>टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएँ" के अंतर्गत सेटिंग्स पर क्लिक करें => अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता/जाती हूँ" सक्रिय करें।</p> <p>सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और टूल्स→ इंटरनेट विकल्प→ कस्टम स्तर के अंतर्गत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया www.mstcecommerce.com पृष्ठ से IE सेटिंग्स एक बार चलाएँ)</p>
2.	<p>लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:</p> <p>विक्रेताओं को विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के अंतर्गत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशिष्ट ई-निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि बिना किसी बदलाव के जमा करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाने पर, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को सिस्टम द्वारा एक मेल प्राप्त होगा।</p> <p>लेन-देन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।</p> <p>लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुँच नहीं मिलेगी।</p> <p>नोट:</p> <p>बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेन-देन शुल्क जमा कर दें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।</p>
3.	<p>अपलोड किए गए शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) की जानकारी केवल आरबीआई/एमएसटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। कार्य आदेश आवंटन सहित अन्य संचार प्रदान की गई ईमेल आईडी के माध्यम से किए जाएँगे। विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि एमएसटीसी में विक्रेता पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी मान्य और अद्यतन हो। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।</p> <p>एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।</p>

4. **ई-निविदा में बोली लगाना:**

क) ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के पात्र होने के लिए विक्रेता(ओं) को आवश्यक ई-निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। **ई-निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क वापस नहीं किए जाएँगे।**

ख) इस प्रक्रिया में वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

ग) जिन विक्रेताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभागों में इंटरनेट के माध्यम से अपनी वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं। → आरबीआई के अंतर्गत लॉगिन करें → मेरा मेनू → नीलामी फ़्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन करें।

वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करें। वाणिज्यिक बोली सहेजे जाने के बाद, विक्रेता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी स्वयं की आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

घ) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

ङ) ई-निविदा मंच पूर्व-घोषित तिथि और समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।

च) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। उस विक्रेता द्वारा प्रस्तुत कोई भी बोली वैध मानी जाएगी और विक्रेता कानूनी रूप से बोली निष्पादित करने के लिए बाध्य है।

छ) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाए, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ज) क्रेता बिना कोई कारण बताए, जैसा भी मामला हो, ई-निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द या अस्वीकार या स्वीकार या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

झ) ई-निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा मंच पर बोली प्रस्तुत करना ई-निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

5.	इस ई-निविदा से प्राप्त कोई भी आदेश इसमें उल्लिखित नियमों व शर्तों द्वारा शासित होगा। वाणिज्यिक नियमों व शर्तों में किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है। ई-निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली(ओं) की प्राप्ति की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है।
6.	विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए विक्रेता मार्गदर्शिका पढ़ें और www.mstcecommerce.com/eprocn पृष्ठ पर वीडियो देखें। तकनीकी सहायता के लिए, एमएसटीसी के अधिकारियों से 0471-2529137 पर पहले ही संपर्क किया जा सकता है और बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे अंतिम समय में किसी भी तरह की हड़बड़ी से बचें। एमएसटीसी से किसी भी तकनीकी सहायता की आवश्यकता होने पर, बोलीदाताओं को ई-निविदा समाप्ति तिथि से कम से कम एक दिन पहले एमएसटीसी से संपर्क करना चाहिए और अपनी सभी समस्याओं का समाधान करवाना चाहिए।
